

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भंवरसिंह साँखला पुत्र श्री बहादुर सिंह, मु.पो. माण्डा, वाया सोजत रोड़, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.) 306103 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन प्रथम सूचना अपील संख्या :- 94/2022 जीसीएमएस नं. :- 2022/308 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>23.06.22</p>	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित ।</li> <li>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 07.03.2022 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन से चाही गई थी परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है ।</li> <li>3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन ने अपने कार्यालय के पत्रांक/आर.टी.आई./2022/1166 दिनांक 23.06.2022 द्वारा इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलाण्ट द्वारा आवेदन पत्र में ग्राम माण्डा के खसरा संख्या 874 एवं 875 दिनांक 08.10.2021 के शुद्धिपत्र की प्रमाणित प्रति चाही परन्तु उक्त शुद्धिपत्र दिनांक 24.05.2022 को भरा गया था। अतः उक्त पत्र की एक प्रति अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 1167 दिनांक 23.06.2022 के प्रेषित कर वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।</li> <li>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है।</li> <li>5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।</li> <li>6. निर्णय आज दिनांक 23.06.22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</li> </ol> <p style="text-align: center;">(नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</p>	